

# फर्ट अहकॉम

( नियम 26 )

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

हरिशा सिंह पुत्र दौलत सिंह खेड़ा बनाम (1) दौलत सिंह पुत्र शंकर सिंह खेड़ा (2)  
 जाति राजपुत्र नि: आघलावास (19) ठहरीलदार गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अधि. मुकदमा नम्बर 48/23

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/5/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>हरिशा खेड़ा</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 89/188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/5/23 को पेश हो।	
29.05.23	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के सम्मन रजि. 37/23 अर्जने का उत्तर दाहते हैं। उत्तर दिया जाग है पत्रावली दिनांक 03/07/23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
31/7/23	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीवार आवाजक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः उत्तर होकर पत्रावली आडन्दा 11/8/23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर गुडामालानी
11/8/23	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के सम्मन रजि. 37/23 अर्जने का एक और उत्तर दाहते हैं। उत्तर दिया जाग है पत्रावली दिनांक 11/10/23 को पेश हो।	
11/10/23	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीवार आवाजक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः उत्तर होकर पत्रावली आडन्दा 31/11/23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर गुडामालानी
31/1/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीवार आवाजक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः उत्तर होकर पत्रावली आडन्दा 11/3/24 को पेश हो।	

11/4/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकूला पक्षकारान  
अनुपस्थित। कांटे समय में वासी वकील  
प्रतिवादी वकील पक्षकारान को तीन बार  
तीन-तीन आवाजें दिलाने बावजूद वासी  
वकील पक्षकारान अनुपस्थित। वासी वकील  
पक्षकारान अनुपस्थित में इन्हें 400 रु.  
अदम खावरी एवं अदम परवी में  
वकील पेश जाकर इन्हें 4211 रु.  
फैसला सुनाने दिए गए बाकि का रजिस्टर  
है।